निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
503/2024	09.01.2024	12/2/26

अमृतलाल पुत्र तेजराम, मीना निवासी जीवली तह0 वजीरपुर ——वादी

बनाम

1 तेजराम पुत्र रामनारायण, मीना निवासी जीवली तह0 वजीरपुर

2 वेदप्रकाश पुत्र तेजराम, मीना निवासी जीवली तह0 वजीरपुर

3 हरिमोन पुत्र तेजराम, मीना निवासी जीवली तह0 वजीरपुर

4 हीरा पुत्र हरगोविन्द, बैरवा, निवासी जीवली तह0 वजीरपुर

5. ऋषि पुत्र परभाती, बैरवा निवासी जीवली तह0 वजीरपुर ——प्रतिवादीगण

दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री हरिशंकर शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0न0 1261/1703 रकवा 0.18 है0, ख0न0 1763/421 रकवा 0.05 है0 कुल किता दो कुल रकवा 0.23 है0 एवं ख0न0 427 रकवा 0.04 है0 ग्राम जीवली मे स्थित है। मौके पर मोखिक बंटवारा अनुसार ख0न0 427 रकवा 0.04 है0 ग्राम जीवली वादी के हिस्से व कब्जे काश्त मे चला आ रहा है। अन्य किसी व्यक्ति का इससे कोई सम्बन्ध नही है। दिनांक 5.1.2024 को सुवह करीव 10 बजे प्रतिवादीगण एक राय होकर वादी की खातेदारी भूमि ख0न0 1763/421 एवं ख0न0 427 मे मकान निर्माण हेतु नींव खोदना प्रारम्भ कर दिया। जिसकी सूचना वादी को मिलने पर वादी ने जरिए मोवाईल वार्ता कर प्रतिवादीगण को वादी की उपरोक्त वर्णित भूमि मे निर्माण नही करने हेतु मना किया लेकिन प्रतिवादीगण नही माने एवं वे उपरोक्त वर्णित भूमि मे जवरदस्ती नींव खोदकर निर्माण करने पर आमादा है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी की भूमि ख0न0 1261/1703 रकवा 0.18 है0, ख0न0 1763/421 रकवा 0.05 है0 कुल किता दो कुल रकवा 0.23 है0 एवं ख0न0 427 रकबा 0.04 है0 ग्राम जीवली के उपयोग उपभोग मे वादी को ना तो स्वयं बाधा उत्पन्न करने ना किसी अन्य से करावे व निर्माण भी नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण वावजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए। अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2074—2077

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:33:42 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या 00 ग्राम जीवली प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी संवत 2074–77 खाता संख्या 137 ग्राम जीवली प्रदर्श 2 प्रस्तुत किये है एवं बयान वादी कराये है।

बहस विद्वान वकील वादी सुनी गई।

वकील वादी ने अपने वादपत्र के अनुसार बहस करते हुए वादी का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2074–77 खाता संख्या 6 के अनुसार भूमि ख0न0 1261/1703 रकबा 0.18 है0 एवं ख0न0 1763/421 रकबा 0.05 है0 वादी की खातेदारी मे दर्ज है। वादी ने ख0नं0 427 रकवा 0.04 है0 के सम्बन्ध में भी स्थाई निषेधाज्ञा चाही है जबकि यह नम्बर वादी की खातेदारी में नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है इसलिए वादी इस नम्बर के बाबत् रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादीगण को इस न्यायालय से वाद के जो नोटिस जारी किये गये है उसके संदर्भ मे प्रतिवादीगण ना तो इस न्यायालय मे उपस्थित हुए है और ना ही प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाब प्रस्तुत हुआ है। ऐसी स्थिति मे भूमि ख0न0 1261/1703 रकबा 0.18 है0 एवं ख0न0 1763/421 रकबा 0.05 है0 ग्राम जीवली के बाबत् वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा डिक्री कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद का वाद डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0न0 1261/1703 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1763/421 रकबा 0.05 है0 कुल किता दो कुल रकबा 0.23 है0 ग्राम जीवली के उपयोग उपभोग मे वादी को किसी भी प्रकार की बाधा उपत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/1/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:35:42 IST
Reason: SelfAttested

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

तारीख
09.01.20

अमृतलाल पुत्र तेजराम, मीना निवासी जीवली तह0 वजीरपुर ——वादी

बनाम

1 तेजराम पुत्र रामनारायण, मीना निवासी जीवली तह0 वजीरपुर
2 वेदप्रकाश पुत्र तेजराम, मीना निवासी जीवली तह0 वजीरपुर
3 हरिमोन पुत्र तेजराम, मीना निवासी जीवली तह0 वजीरपुर
4 हीरा पुत्र हरगोविन्द, बैरवा, निवासी जीवली तह0 वजीरपुर
5. ऋषि पुत्र परभाती, बैरवा निवासी जीवली तह0 वजीरपुर ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 503/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हरिशंकर शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई .... मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद का वाद डिक्री किया जाता है एवं भूमि ख0न0 1261/1703 रकबा 0.18 है0, ख0न0 1763/421 रकबा 0.05 है0 कुल किता दो कुल रकबा 0.23 है0 ग्राम जीवली के उपयोग उपभोग मे वादी को किसी भी प्रकार की बाधा उपत्पन्न नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/2/26 को जारी किया गया।

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.02.25 15:35:42 IST
Reason: SelfAttested